pan>

Title: Need to include Kurmali and Mundari language in the Eighth schedule of the Constitution.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय संतुÂिट के लिए भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की व्यवस्था की गयी है। अब तक इसमें हिन्दी सहित 22 क्षेत्रीय भाÂाओं को शामिल किया जा चुका है और 38 भाÂाायें केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं। झारखण्ड की पांच भाÂाएं भी प्रतीक्षा सूची में हैं। झारखण्ड की जिन पांच भाÂाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव है उनमें कुड़ुख, कुरमाली, मुंडारी एवं नागपुरी शामिल हैं। कुरमाली झारखण्ड की एक प्रमुख भाÂाा है। यह केवल झारखण्ड में ही नहीं बल्कि ओडिशा में क्योंझर, बामडा, मयूरभंज, सुंदरगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर, बंकुरा, मालदा, दिनाजपुर तथा भागलपुर इलाकों में बोली जाती है। इसी तरह मुंडारी भाÂाा भी विश्व की प्राचीनतम भाÂाओं में से एक है। इसकी संस्कृति भी प्राचीनतम है। मुंडारी भाÂाा ने दूसरी भाÂाओं को प्रभावित किया है। खास कर बांग्ला और उड़िया में मुंडारी भाÂाा का प्रयोग होता है जिसका इतिहास करीब चार हजार साल पुराना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 32 जनजातीय समुदायों की 32 भाÂाओं में से 27 भाÂाएं लगभग विलुप्त हो चुकी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कुरमाली एवं मुंडारी भाÂाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।